

प्ररूप-घ

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत विद्युत अधिनियम, 2003)
एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तराना, जिला उज्जैन (म0प्र0)

(समक्ष : राजेश सिंह)

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक— 16 जनवरी, 2024 को घोषित}

(दायरा सत्र प्रकरण क्रमांक— 59 / 2023)

Registration Number- 59/2023

Filing No. 1759/2023

CNR No. MP1307-001952-2023

Filing Date 06-11-2015

Registration Date- 03-08-2023

परिवादी	मध्यप्रदेश (पश्चिम क्षेत्र) विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उज्जैन (संचारण:संधारण) उपसंभाग तराना वितरण केन्द्र तराना ग्रामीण द्वारा सहायक यंत्री के.एस. परिहार पिता मुंशीराम परिहार, उम्र— 55 वर्ष, व्यवसाय— नौकरी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री गौरव सोलंकी, पैनल अधिवक्ता।
अभियुक्त	लक्ष्मीनारायण पिता रामचरण दास बैरागी, उम्र— 55 वर्ष जाति— बैरागी, निवासी— ग्राम झुमकी, तहसील तराना, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अर्जुन सिंह बड़ाल, अधिवक्ता

निर्णय

2

सी.आई.एस./रजिस्ट्रेशन/59/2023

प्ररूप-ड

अपराध की तारीख	14 / 05 / 2015
प्र.सू.रि. की तारीख	निरंक
आरोप-पत्र की तारीख	06 / 11 / 2015
आरोपों के विरचना की तारीख	11 / 10 / 2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	24 / 11 / 2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	04 / 01 / 2024
निर्णय की तारीख	04 / 01 / 2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	लक्ष्मीनारायण	निरंक	19.07.2023	135 विद्युत अधिनियम, 2003	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

प्ररूप—च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. परिवादी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
(प.सा. क्रं. 1)	कमल सिंह नरवरिया	अन्य साक्षी
(प.सा. क्रं. 2)	के.एस. परिहार	अन्य साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक		

ग. न्यायालयीन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. परिवादी

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी- 1/प.सा.- 1	मौका पंचनामा
2	प्रदर्श पी- 2/प.सा.- 2	अनंतिम निर्धारण आदेश
3	प्रदर्श पी- 3/प.सा.- 2	धारा 152 विद्युत अधिनियम का सूचना-पत्र
4	प्रदर्श पी- 4/प.सा.- 2	डाक रसीद

ख. प्रतिरक्षा :

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
		निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
		निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं :

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
		निरंक

01— अभियुक्त लक्ष्मीनारायण पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक- 14/05/2015 को 01:00 बजे ग्राम झुमकी, तहसील तराना, जिला उज्जैन स्थित स्वयं के परिसर में श्रीमती कृष्णाबाई के कुएं पर 25 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर की एल.टी. साईड में लगभग 1500-1500 फीट वायर की सर्विस लाईन को जोड़कर परिसर में लगे श्री फेस मीटर को बायपास कर पॉच एच.पी. की मोटर से आटा चक्की चलाकर गेहूं पीसकर विद्युत

का अनाधिकृत उपयोग कर विद्युत कंपनी को 63,065/— (अक्षरी रुपये त्रेसठ हजार पैंसठ) रुपये की क्षति कारित कर विद्युत की चोरी की।

02— परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद-पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी के.एस. परिहार, सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (संचारण:संधारण) तराना ग्रामीण वितरण केन्द्र में पदस्थ था, जिसे मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरण में लिखित रूप से परिवाद-पत्र पेश करने का अधिकार प्राप्त है। परिवादी को विद्युत अधिनियम के तहत अधिकृत किया गया है कि जब किसी स्थान में विद्युत का अनाधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में परिवादी ऐसे किसी स्थान या परिसर में प्रवेश करेगा, तलाशी लेगा, विद्युत के अनाधिकृत उपयोग में प्रयुक्त कोई उपकरण, औजार, सामग्री, लेखा-बही व दस्तावेज का परीक्षण कर जप्त कर सकेगा। दिनांक— 14/05/2015 को अभियोगी संचारण :संधारण) उपसंभाग तराना से अभियुक्त के परिसर में निरीक्षण दल के साथ पहुँचे। घटनास्थल पर अभियुक्त उपस्थित था। निरीक्षण में उपभोक्ता द्वारा श्रीमती कृष्णाबाई के कुंए पर 25 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर की एल.टी. साईड में लगभग 1500—1500 फीट वायर की सर्विस लाईन को जोड़कर परिसर में लगे थ्री फेस मीटर को बायपास कर पॉच एच.पी. की मोटर से आटा चक्की चलाकर गोहूँ पीसकर अवैध रूप से विद्युत का अनाधिकृत उपयोग कर विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी। मौके पर अभियुक्त की पत्नी द्वारा सामान जप्त नहीं करने दिया गया। अभियुक्त का कृत्य अवैधानिक एवं विद्युत ऊर्जा की चोरी होने से अभियोगी द्वारा मौके पर ही निरीक्षण का पंचनामा प्रदर्श पी— 1 तैयार किया जाकर उसकी प्रति उपस्थित अभियुक्त को दी जाकर हस्ताक्षर करने हेतु कहा गया, किन्तु अभियुक्त ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। अभियोगी द्वारा अनंतिम निर्धारण आदेश प्रदर्श पी— 2 बनाया जाकर विद्युत बिल की बकाया एवं विद्युत चोरी की राशि जमा कराने हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से अभियुक्त को प्रेषित किया गया। अभियुक्त द्वारा निर्धारण आदेश अनुसार राशि जमा नहीं किये जाने पर धारा 152 विद्युत अधिनियम प्रदर्श पी— 3 का सूचना पत्र तैयार कर अभियुक्त को डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था, जिसकी डाक रसीद प्रदर्श पी— 4 है। सूचना पत्र प्राप्ति उपरांत भी अभियुक्त द्वारा राशि जमा नहीं करने के कारण उक्त परिवाद-पत्र अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत किया गया। परिवाद-पत्र समयावधि में प्रस्तुत है। प्रस्तुत परिवाद-पत्र में अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

03— अभियुक्त लक्ष्मीनारायण को धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार कर विचारण चाहा। धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये परीक्षण में उसने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाना बताया है। प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर अभियुक्त ने बचाव में साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04— प्रकरण में परिवादी के अधिवक्ता की ओर से साक्षी कमल सिंह नरवरिया (प.सा. क्रमांक— 1) एवं के.एस. परिहार (अ.सा. क्रमांक— 2) का परीक्षण कराया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है कि:—

“क्या अभियुक्त ने दिनांक— 14/05/2015 को 01:00 बजे ग्राम झुमकी, तहसील तराना, जिला उज्जैन स्थित स्वयं के परिसर में श्रीमती कृष्णाबाई के कुएं पर 25 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर की एल.टी. साईड में लगभग 1500—1500 फीट वायर की सर्विस लाईन को जोड़कर परिसर में लगे थ्री फेस मीटर को बायपास कर पाँच एच.पी. की मोटर से आटा चक्की चलाकर गेहूँ पीसकर विद्युत का अनाधिकृत उपयोग कर विद्युत कंपनी को 63,065/— (अक्षरी रुपये त्रैसठ हजार पैंसठ) रुपये की क्षति कारित कर विद्युत की चोरी की?”

// विवेचना एवं निष्कर्ष //

06— Hon'ble Supreme Court in the case of Noor Aga Vs. State of Punjab & Haryana, AIR 2008 SCW 5964 has discussed the issue of presumption or reverse burden and held that inspite of the provision of presumption or reverse burden, the prosecution has to prove the foundational facts beyond reasonable doubt.

07— निरीक्षणकर्ता अधिकारी के.एस. परिहार (प.सा. क्रमांक— 2) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक— 14/05/2015 को विद्युत उपसंभाग

तराना में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ रहने के दौरान वह लाईन हेल्पर कमल नरवरिया, लाईन हेल्पर अजय सिकरवार एवं सुरेश श्रमिक ठेकेदार के साथ ग्राम झुमकी में लक्ष्मीनारायण के परिसर में विद्युत निरीक्षण हेतु पहुँचे थे। उपभोक्ता द्वारा 25 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर की एल.टी. साईड में लगभग 1500—1500 फीट की तीन वायर लाल रंग 2.5 एम.एम. को जोड़कर परिसर में लगे थ्री फेस मीटर को बायपास कर पॉच एच.पी. की मोटर चलाकर आटा चक्की अवैध रूप से चला रहे थे। मौके पर अभियुक्त लक्ष्मीनारायण एवं उसकी पत्नी उपस्थित थी। मौके पर उसके द्वारा विद्युत चोरी के संबंध में प्रदर्श पी— 1 का पंचनामा बनाया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर अभियुक्त की पत्नी द्वारा सामान जप्ती नहीं करने दी गई। दिनांक— 14/05/2015 को पंचनामा के आधार पर उसके द्वारा अनंतिम निर्धारण आदेश दिनांक— 63,065/— रुपये का प्रदर्श पी— 2 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा धारा 152 विद्युत अधिनियम का सूचना—पत्र प्रदर्श पी— 3 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा प्रदर्श पी— 2 एवं प्रदर्श पी— 3 रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था, जिसकी डाक रसीद प्रदर्श पी— 4 है।

08— कमल सिंह नरवरिया (प.सा. क्रमांक— 1) ने निरीक्षणकर्ता अधिकारी के.एस. परिहार का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक— 14/05/2015 को वह उसके अधिकारी के.एस. परिहार के साथ ग्राम झुमकी, तहसील तराना, जिला उज्जैन में अभियुक्त लक्ष्मीनारायण के परिसर पर विद्युत निरीक्षण हेतु पहुँचा था। मौके पर उपभोक्ता द्वारा 25 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर की एल.टी. साईड में 1500 फीट की तीन वायर डालकर विद्युत का अवैध उपभोग कर परिसर में आटा चक्की, जिसमें पॉच एच.पी. की विद्युत मोटर लगी थी, टी.व्ही., पंखे चालू हालत में पाये गए। मौके पर उसके अधिकारी द्वारा विद्युत चोरी का पंचनामा प्रदर्श पी— 1 बनाया गया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर अभियुक्त स्वयं उपस्थित था, जिसे पंचनामा की प्रति प्रदान की गई। अभियुक्त ने पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया, जिसकी टीप प्रदर्श पी— 1 के पंचनामा पर अंकित है।

09— निरीक्षणकर्ता अधिकारी के.एस. परिहार (प.सा. क्रमांक— 2) ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त के परिसर में प्रवेश करने से पूर्व प्रवेश करने के संबंध में कोई पंचनामा नहीं बनाया गया। अभियुक्त के परिसर में उपयोग किये जा रहे विद्युत उपकरण को जप्त नहीं किया गया। कमल

सिंह नरवरिया (प.सा. क्रमांक— 1) ने भी प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि अभियुक्त के परिसर में उपयोग किये जा रहे विद्युत उपकरण को जप्त नहीं किया गया। प्रकरण में उपयोग किये जा रहे विद्युत उपकरण की जप्ती नहीं की गई तथा परिसर में प्रवेश करने से पूर्व कोई पंचनामा नहीं बनाया गया था। यह तथ्य परिवादी द्वारा की गई कार्यवाही को ही संदिग्ध बना देता है।

10— निरीक्षणकर्ता अधिकारी के.एस. परिहार (प.सा. क्रमांक— 2) तथा कमल सिंह नरवरिया (प.सा. क्रमांक— 1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त के मकान के स्वामित्व/आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेज अभियुक्त से नहीं लिये थे। अभिलेख में अभियुक्त के मकान के स्वामित्व, आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी के.एस. परिहार द्वारा जिस परिसर का निरीक्षण किया गया, वह अभियुक्त लक्ष्मीनारायण के स्वामित्व, आधिपत्य का है, यह तथ्य साक्ष्य अभाव में साबित नहीं होता है। उपरोक्त तथ्य भी निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को संदेहास्पद बनाता है।

11— निरीक्षणकर्ता अधिकारी के.एस. परिहार (प.सा. क्रमांक— 2) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी— 1 के पंचनामा में स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर हैं। निरीक्षणकर्ता अधिकारी के.एस. परिहार द्वारा की गई कार्यवाही स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित नहीं होना पाया जाता है। परिवादी की ओर से भी किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। यह तथ्य भी विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा की गई निरीक्षण की कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न करता है।

12— धारा 135(4) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और जप्ती से संबंधित प्रावधान, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत किये गए तलाशी और जप्ती पर भी लागू होंगे, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कोई विद्युत उपकरण जप्त नहीं किये गए हैं। विद्युत उपकरण जप्त न करने का जो कारण बताया गया है, उसके संबंध में पुलिस रिपोर्ट प्रकरण में पेश नहीं है। परिसर में प्रवेश करने से पूर्व भी कोई पंचनामा नहीं बनाया गया है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव है। अभियुक्त के परिसर के स्वामित्व/आधिपत्य/किरायेदारी के संबंध में प्रकरण में कोई दस्तावेज पेश कर साबित नहीं कराया गया है।

13— उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों एवं सम्मानित न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त लक्ष्मीनारायण के विरुद्ध संदेह से परे आरोप साबित न होने से अभियुक्त लक्ष्मीनारायण पिता रामचरण दास बैरागी को धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14— अभियुक्त लक्ष्मीनारायण के जमानत एवं बंध-पत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

15— प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त नहीं।

स्थान:— तहसील तराना, जिला उज्जैन
दिनांक:— 16/01/2024

सही/—
(राजेश सिंह)
विशेष न्यायाधीश
अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003
तराना, जिला उज्जैन, म.प्र.

निर्णय मेरे द्वारा बोलकर टंकित करवाया गया
तथा खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

सही/—
(राजेश सिंह)
विशेष न्यायाधीश
अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003
तराना, जिला उज्जैन, म.प्र.

RAJESH
SINGH

Digitally
signed by
RAJESH
SINGH
Date:
2024.01.16
16:51:11
+0200